सं0 730/IV(2)-श0वि0-09-06(एन0यू0आर0एम0)/08

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2 : देहरादूनः दिनांक- 29 जुलाई, 2009

विषयः- **जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत हरिद्वार शहर की वाटर सप्लाई रिआर्गेनाईजेशन स्कीम हेतु केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने की प्रस्ताशा में धनराशि के व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या भा0स0-22/IV-श0वि0-08-06(एनयूआरएम)/08 दिनांक 29-3-2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत हरिद्वार शहर की वाटर सप्लाई रिआर्गेनाईजेशन की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 रू0 4784.43 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश तथा राज्यांश सहित प्रथम किस्त अवमुक्त की गयी थी, तत्क्रम में प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के पत्र संख्या 1244/जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम दिनांक 8-7-2009 द्वारा कुम्भ मेला-2010 की तात्कालिका के दृष्टिगत कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु रू0 20.00 करोड़ अवमुक्त करने की अपेक्षा की गयी है।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिद्वार कुम्भ मेला-2010 के दृष्टिगत जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत हरिद्वार शहर की वाटर सप्लाई रिआर्गेनाईजेशन हेतु **रू0 1500.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित **कार्यदायी संस्था प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून** को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर इस धनराशि को 3 समान किस्तों में पूर्व अवमुक्त किस्त का पूर्ण उपयोग करके ही अनुवर्ती किस्त का आहरण करके उपलब्ध करायी जायेगी।
2. **उक्त परियोजना के सापेक्ष भारत सरकार से प्राप्त होने वाली आगामी किस्तों में से सर्वप्रथम उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1500.00 लाख का राज्यांश सहित समायोजन किया जायेगा। तदोपरान्त ही प्राप्त केन्द्रांश तथा राज्यांश की अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी।**
3. **शासनादेश संख्या 438/IV(2)-श0वि0-09-06(जेएनएनयूआरएम)/08 दिनांक 26-3-2009 द्वारा दरों में हुई वृद्धि के कारण स्वीकृत अतिरिक्त धनराशि रू0 853.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।**

4. उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के अनुदान संख्या–13 सामान्य बजट तथा अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जाति उपयोजना से स्वीकृत की जा रही है।

5. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।

6. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक–पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

8. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

9. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरें एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों एवं उक्त सभी के विषय में समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

10. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

11. कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

12. कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2010 तक पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा ।

14. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2009–10 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13**, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता की मद के नामे **रू0 1222.75 लाख** की धनराशि तथा **अनुदान सं0–30**, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–05–नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता की मद के नामे **रू0 277.25 लाख** की धनराशि डाला जायेगा।

15. यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०— 236/XXVII(2)/2009, दिनांक— 28 जुलाई, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

सं0 730 (1)/IV(2)-श0वि0—09,तद्‌दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी (मा0 मुख्यमंत्री जी)।
4. सचिव, पेयजल, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वित्त अनुभाग—2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
12. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
13. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
14. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।